The Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan) Adhiniyam, 1971

Act 23 of 1971

Keyword(s):
Niyat Date, Collector, Nigam, Adhyasi, Hitbadh Vyaktiyon, Vihit, Vihit Pradhikari, Anusuchit Upkram, Nyayikaran

Amendments appended: 20 of 1985, 30 of 1989

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

143891

LA
~~143891~~

L.A.
1571.23
Cop 2

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1971)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 16 अगस्त, 1971 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 18 अगस्त, 1971 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 22 अगस्त, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 अगस्त, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

कतिपय चीनी उपक्रमों का जनसाधारण के हित में अर्जन और अंतरण करने की तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये, व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य दिनांक 3 जुलाई, 1971 से है ;

(ख) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(ग) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड से है जो कम्पनीज् ऐक्ट, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत एक गवर्नमेन्ट कम्पनी है ;

(घ) किसी अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के कार्यकलापों पर अन्तिम नियंत्रण था ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में, "हितबद्ध व्यक्तियों" का तात्पर्य ऐसे सभी व्यक्तियों से है जो उस उपक्रम का अर्जन किये जाने के कारण दिये जाने वाले प्रतिकर में किसी हित का दावा करते हों, और इसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम का कोई पट्टेदार भी है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित है ;

(उत्तर और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 16 अगस्त, 1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।)

(छ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त विहित प्राधिकारी से है ;

(ज) "अनुसूचित उपक्रम" का तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट किसी फैक्ट्री में वैकुअम पैन के द्वारा और यंत्रचालित शक्ति की सहायता से चीनी के निर्माण या उत्पादन में लगा हो, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित समाविष्ट हैं :—

(1) उस फैक्ट्री से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्लान्ट, मशीनरी और अन्य सज्जा (जिसमें मिलिंग प्लान्ट, बायलिंग हाउस सज्जा, चीनी बनाने की अन्य मशीनरी, गन्ना उतारने की सज्जा तथा पावर प्लान्ट सम्मिलित हैं), तोलन पट्ट, क्रेनें, चिम्नियां, टर्बाइन और बायलर (जिसमें नींवें, ऊपरी ढांचा और छतें भी सम्मिलित हैं);

(2) कोई इंजीनियरिंग वर्कशाप, जिसमें उसकी मशीनरी और सज्जा भी सम्मिलित है ;

(3) कोई रासायनिक प्रयोगशाला, जिसमें उसके उपकरण और सज्जा भी सम्मिलित हैं ;

(4) उस फैक्ट्री से सम्बन्धित कोई मोटर या अन्य गाड़ी या लोकोमोटिव, या रेलवे साईडिंग ;

(5) कोई डिस्पेन्सरी या चिकित्सालय या सामुदायिक या कल्याण केन्द्र जो केवल फैक्ट्री में सेवायोजित मजदूरों और अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये हो ;

(6) उस फैक्ट्री के प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित सभी भूमि (बाग की भूमि और खेती के प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित भूमि को छोड़ कर) तथा भवन (जिसमें इसके पूर्व उल्लिखित किन्हीं भी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित भवन तथा अतिथि-गृह और पट्टेदार या लाइसेन्सी के रूप में डायरेक्टरों, प्रबन्धकीय कर्मचारियों, कर्मचारीगण और मजदूरों या किसी अन्य व्यक्ति के निवास, तथा कोई स्टोर हाउस, शीरा के हौज, सड़कें, पुलें, नालियां, पुलियायें, नलकूप, जलसंग्रह या वितरण व्यवस्था और अन्य सिविल इंजीनियरिंग निर्माण भी सम्मिलित हैं), जिसके अन्तर्गत उनमें कोई पट्टेदारी स्वत्व भी सम्मिलित है ;

(7) उस फैक्ट्री से सम्बन्धित सभी चूने की खदानें, जिसमें उनसे सम्बन्धित कोई खनन सम्बन्धी पट्टा भी सम्मिलित है ;

(8) उस फैक्ट्री से या एतत्पूर्व निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विद्युत् अधिष्ठापन (जिसमें विद्युत् शक्ति के जनन या प्रसारण के लिये कोई प्लान्ट या सज्जा भी सम्मिलित है), टेलीफोन सज्जा, फर्नीचर तथा फिक्सचर;

(9) उस फैक्ट्री से सम्बन्धित सभी औजार, पुर्जे और स्टोर ;

(10) उस फैक्ट्री में सेवायोजित निगरानी और चौकीदारी करने वाले कर्मचारीगण के प्रयोग के सभी आग्नेय आयुध;

(11) उस फैक्ट्री से सम्बन्धित सभी मानचित्र, प्लान्स, सेक्शन्स, ड्राइंग्स और डिजाइन्स ;

(12) सभी गन्ना, चीनी जो निर्माण या उत्पादन के प्रक्रम में हों तथा चीनी और शीरा के स्टाक और सभी बगास और मैल ;

(13) उस फैक्ट्री से या एतत्पूर्व निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी लेखे, रजिस्टर और अन्य लेख्य ;

किन्तु इसके अन्तर्गत हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, किसी आय कर या अन्य कर के निमित्त जमा अग्रिम, विनियोजन और खाता ऋण या किसी अन्य संविदा से सम्बन्धित अधिकार, दायित्व तथा आभार नहीं है ;

(झ) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है ।

निहित होना

3—नियत दिनांक को, प्रत्येक अनुसूचित उपक्रम, इस अधिनियम की सामर्थ्य से, उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार से (सिवाय ऐसे धारणाधिकार या अन्य आभार के जो चीनी के स्टाक या अन्य व्यावसायिक स्टाक की प्रतिभूति पर दिये गये अग्रिम के सम्बन्ध में हो) मुक्त होकर निगम को अंतरित, और उसमें निहित, हो जायेगा और हो गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार उपक्रम के स्थान पर धारा 7 में अभिदिष्ट प्रतिकर से, उस धारा के उपबन्धों के अनुसार, सम्बद्ध हो जायगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार, धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जाने योग्य किसी कर या उपकर या अन्य देय की वसूली से संबंधित किसी कार्यवाही में अनुसूचित उपक्रम या उसमें समाविष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के कुर्क किये जाने या उस पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के पश्चात् अस्तित्व में आया हो, मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जा सकने वाले देयों से सम्बन्धित सभी दावों के विरुद्ध विधिशून्य होगा।

निहित होने के कतिपय परिणाम

4—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और सिवाय उस दशा के जब कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित हो, नियत दिनांक को और उस दिनांक से—

(क) किसी न्यायालय द्वारा की गई किसी अनुसूचित उपक्रम के रिसीवर की प्रत्येक नियुक्ति समाप्त हो जायेगी ;

(ख) प्रत्येक पट्टा या अन्य व्यवस्था जिसके अधीन कोई अनुसूचित उपक्रम या उसका प्रबन्ध किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया हो, प्रभावी न रह जायेगी;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक कुर्की या व्यादेश संबंधी या अन्य आदेश जिसके द्वारा किसी अनुसूचित उपक्रम का उपयोग सीमित या बाधित किया गया हो या उसके सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध योजना निर्धारित की गई हो, चाहे उसे किसी भी प्रकार से वर्णित किया गया हो, प्रभावी न रह जायगा।

कब्जा देने का कर्त्तव्य

5—(1) यदि धारा 3 के अधीन कोई अनुसूचित उपक्रम निगम में निहित हो गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण में उस उपक्रम में समाविष्ट कोई सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य हो, तुरन्त उसे कलेक्टर को दे देगा।

(2) कलेक्टर ऐसी किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या लेख्य का कब्जा लेने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, और विशेष रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) कलेक्टर इस धारा के अधीन कब्जे में ली गई सभी सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों, लेखाओं, रजिस्टरों और लेख्यों की एक सूची, यथासाध्य अध्यासी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, तैयार करेगा।

(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर को कब्जा देने का प्रभाव निगम को कब्जा देने का होगा।

(5) पूर्वगामी उप-धाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप धारा (1) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या लेख्य के सम्बन्ध में, जिसे वह कलेक्टर को देने में असफल रहा हो, निगम को हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होगा।

ब्यौरे देने का कर्त्तव्य

6—प्रत्येक अनुसूचित उपक्रम का अध्यासी नियत दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अधिक समय के भीतर जो निगम तदर्थ स्वीकार करे, निगम को या ऐसे अधिकारी को जिसे निगम निर्दिष्ट करें, उपक्रम की प्रतिभूति पर उपगत और नियत दिनांक पर विद्यमान सभी दायित्वों और आभारों के पूर्ण ब्यौरे और अनुसूचित उपक्रम से सम्बन्धित तथा नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी अनुबन्धों तथा अन्य संलेखों के भी (जिसमें उस उपक्रम में सेवायोजित किसी व्यक्ति के अवकाश, पेन्शन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में अनुबन्ध, डिक्रियां, पंचफैसले, स्थायी आदेश तथा अन्य संलेख सम्मिलित हैं) पूर्ण ब्यौरे देगा, और निगम इस प्रयोजन के लिये उसे सभी उचित सुविधायें देगा।

प्रतिकर का अवधारण तथा उसके भुगतान की विधि

7—(1) (क)—खण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार किसी अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट चीनी के स्टाक के लिये प्रतिकर के रूप में उस के ऐसे मूल्य का भुगतान करेगी जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रचलित ऐक्स-फैक्ट्री बाजार भाव के अनुसार, जिसमें से, उस पर प्रारोपनीय बेसिक उत्पादन शुल्क तथा बिक्री-कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को घटाया जायगा, आकलित होगा।

(ख) ऐसे चीनी स्टाक का निस्तारण समय-समय पर (यदि आवश्यक हो तो किसी ऐसे बैंक से तय करने के बाद जिसने नियत दिनांक के पूर्व उसकी प्रतिभूति पर अग्रिम की धनराशि दे रखी हो) किया जायेगा, और जब तथा जैसे-जैसे स्टाक का निस्तारण किया जाय, उक्त प्रतिकर में से उतनी धनराशि जिसका सम्बन्ध निस्तारित मात्रा से हो, उपधारा (6) और (9) के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी के पास जमा करके, नकद में भुगतान की जायगी।

(ग) उस प्रतिकर में से पहिले, निस्तारित मात्रा की प्रतिभूति पर दिये गये किसी अग्रिम की धनराशि या, यथास्थिति, अग्रिम की आनुपातिक धनराशि का तथा अग्रिम की शर्तों के अधीन देय उससे सम्बन्धित ब्याज तथा किन्हीं अन्य परिव्ययों का जो निगम या किसी अन्य व्यक्ति को देय हों भुगतान किया जायगा और शेष धनराशि को पूर्ववत् प्रकार से निहित प्राधिकारी के पास जमा कर दिया जायेगा और उसका भुगतान उपधारा (9) या उपधारा (12) के अधीन या धारा 8, धारा 9 या धारा 11 के अधीन उस प्राधिकारी के या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार उसके लिये हकदार व्यक्तियों को किया जायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 1964

(2) राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी शीरे के स्टाक के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में उसके मूल्य का भुगतान, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रचलित ऐसी कीमत के आधार पर आकलित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964, के अधीन निर्धारित की गई हो और उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबन्ध ऐसे प्रतिकर के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(3) राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी गन्ने के स्टाक के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में उसके वास्तविक क्रय-मूल्य का भुगतान करेगी, जो राज्य सरकार और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच तय हो जाये, और इस प्रकार तय न होने की दशा में, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(4) राज्य सरकार अनूसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी चीनी के जो उत्पादन के प्रक्रम में हो या किसी बगास या मैल के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में उसके बाजार मूल्य का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच तय हो जाय, और इस प्रकार तय न होने की दशा में, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(5) उप-धारा (1),(2),(3) और (4) में अभिदिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अर्जन के लिये उक्त उपधाराओं के अधीन देय प्रतिकर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, राज्य सरकार अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक अनसूचित उपक्रम के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि का जो उसके सामने अनसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट है, उपधारा (6) तथा (9) के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी के पास जमा करके, भुगतान करेगी, और उसका भुगतान उपधारा (9) या उपधारा (12) या धारा 8, धारा 9 या धारा 11 के अधीन उक्त प्राधिकारी के या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार उसके हकदार व्यक्तियों को दिया जायेगा ।

(6) राज्य सरकार उपधारा (1), (2), (3), (4) और (5) में अभिदिष्ट प्रतिकर में से निम्नलिखित धनराशियां अनन्तिम रूप से काट लेगी, अर्थात :—

(क) अनुसूचित उपक्रम से संबद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकरण, न्यास या तत्सदृश आभार के संबंध में कोई धनराशि जो धारा 3 के उपबन्धों के प्रभाव से नियत दिनांक को उपक्रम के स्थान पर प्रतिकर से संबद्ध हो जायेगी;

(ख) किन्हीं गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों को, नियत दिनांक के पूर्व ऐसे गन्ना उत्पादकों द्वारा या ऐसी समितियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित उपक्रम को संभारित गन्ने की कीमत के संबंध में देय कोई धनराशि ;

(ग) (संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० के अर्थों में) मजदूरों के रूप में नियत दिनांक से ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के उपबन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों को मजदूरी, प्रतिधारण-भत्ता, बोनस, भविष्य निधि या अन्य भुगतान के रूप में देय धनराशि ;

(घ) नियत दिनांक से ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में सेवायोजित व्यक्तियों के संबंध में एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन या तो सेवायोजन का अंशदान या सेवायोजक द्वारा वसूल किया गया कर्मचारी का अंशदान या सेवायोजन से वसूल किये जा सकने वाले किन्हीं अन्य देयों जिनका सेवायोजक ने संबंधित अधिनियमों के अनुसार भुगतान नहीं किया हो, की कोई धनराशि;

(ङ) कोई ऐसी धनराशि, जो खण्ड (क) में अभिदिष्ट धनराशि न हो, जिसे राज्य सरकार अनसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी ऋण, कर या उपकर अथवा ऐसा ऋण, कर या उपकर के संबंध में देय किसी शास्ति या व्याज, के निमित्त नियत दिनांक से ठीक पूर्व देय होने का दावा करें ;

और शेष धनराशि, यदि कोई हो, को विहित प्राधिकारी के पास जमा कर देगी, और यदि ऐसी काटी जानी वाली धनराशियां प्रतिकर के बराबर हों या उससे अधिक हों तो वह विहित प्राधिकारी को तदनुसार सूचित कर देगी :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अधीन अनन्तिम रूप से काटी गयी धनराशि, जहां तक उस पर राज्य सरकार स्वयं को देय का दावा न करती हो, विहित प्राधिकारी के पास, हितबद्ध व्यक्तियों को, उनके अपने-अपने स्वत्वों के अनुसार, भुगतान करने के लिये जमा की जायेगी ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (क), (ख), (ग) व (घ) में अभिदिष्ट धनराशियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अनन्तिम रूप से काटी जायेगी, और राज्य सरकार संगत सूचना या तो निगम से या, यथास्थिति, गन्ना आयुक्त, श्रम आयुक्त, एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्त कर सकती है ।

(7) राज्य सरकार उप-धारा (6) में अभिदिष्ट काटी जाने वाली धनराशियों का एक विवरण-पत्र विहित प्राधिकारी के पास दाखिल करेगी ।

(8) विहित प्राधिकारी उप-धारा (6) के अधीन उसके पास जमा की गई प्रत्येक धनराशि और उप-धारा (7) के अधीन उसके पास दाखिल किये गये विवरण-पत्र के सम्बन्ध में ऐसे सभी व्यक्तियों को नोटिस देगा जिनके सम्बन्ध म वह जानता है या उसे विश्वास है कि वे अनुसूचित उपक्रम में हितबद्ध हैं या वे हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिये हकदार हैं ।

(9) यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति (जिसमें सप्रतिभूति ऋणदाता भी सम्मिलित है) उपधारा (6) के अधीन अनन्तिम रूप से काटी गयी धनराशि की यथातथ्यता पर कोई आपत्ति करे तो उस आपत्ति का निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, और विहित प्राधिकारी अपने निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को उतनी धनराशि या और अधिक धनराशि जमा करने के लिये निदेश दे सकता है जितनी कि आवश्यक हो या ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

(10) उपधारा (6) में अभिदिष्ट जमा की जाने वाली धनराशि, जहां तक उसका सम्बन्ध उपधारा (5) में अभिदिष्ट प्रतिकर से है, उस दिनांक से जबकि अनुसूचित उपक्रम की सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का कब्जा धारा 5 के अधीन दे दिया गया हो, छः महीने से अनधिक अवधि के भीतर जमा कर दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही (जिसमें उसके द्वारा दायर की गई कोई विधिक कार्यवाही भी सम्मिलित है) के फलस्वरूप निगम ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के कब्जे से वंचित कर दिया जाय या उसके उन पर कब्जे में रुकावट डाल दी जाय तो तीन महीने की उक्त अवधि की गणना करते समय इस प्रकार वंचित किये जाने या रुकावट डाले जाने की अवधि नहीं शामिल की जायगी ।

(11) (क) उपधारा (5) में अभिदिष्ट प्रतिकर की धनराशि में से उपधारा (6) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) में अभिदिष्ट धनराशियों को घटाने के बाद शेष बची हुयी धनराशि पर राज्य सरकार द्वारा पौने छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(ख) ऐसा ब्याज उस दिनांक से चालू होगा जिसको कि अनुसूचित उपक्रम की सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का कब्जा धारा 5 के अधीन दे दिया गया हो और उपधारा (6) तथा उपधारा (9) के अधीन धनराशियां जमा करने के दिनांक या क्रमशः जमा किये जाने के दिनांकों तक चालू रहेगा, किन्तु उपधारा (10) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट कोई अवधि उसमें से निकाल दी जायगी ।

(12) यदि उपधारा (10) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट अवधि के संबंध में या उपधारा (11) में अभिदिष्ट ब्याज की धनराशि के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो वह विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जायगा, जो अपने निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को निदेश दे सकता है कि वह ऐसी धनराशि या और अधिक धनराशि अदा करे जो कि आवश्यक हो ।

(13) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि—

(क) वह राज्य सरकार को, अनुसूचित उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऐसे ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार, या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार की अपेक्षा जो धारा 3 के उपबन्धों के प्रभाव से नियत दिनांक को, उपक्रम के स्थान पर प्रतिकर से संबद्ध हो जायेगा, अपने अप्रतिभूति देयों के संबंध में किसी प्रकार की प्राथमिकता का दावा करने की अनुमति देती है; या

(ख) वह राज्य सरकार से किसी ऐसे ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या अन्य आभार को चुकता करने के लिए इस धारा द्वारा व्यवस्थित प्रतिकर से अधिक धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा करती है ।

प्रतिकर में से दावों का चुकाया जाना

8—(1) निगम, अनुसूचित उपक्रम की किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या किसी अन्य लेख्य के धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार न दिये जाने के कारण निगम द्वारा उठाई गई किसी हानि के आधार पर कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकता है ।

(2) कोई गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, नियत दिनांक के पूर्व उसके द्वारा या, यथास्थिति, उसके सदस्यों द्वारा अनुसूचित उपक्रम को संभारित गन्ने की कीमत या उस पर ब्याज या इस प्रकार सम्भारित गन्ने के संबंध में समिति के कमीशन के बारे में कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकती है ।

(3) उप-धारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम उस उप-धारा में अभिदिष्ट बकाया देय धनराशियों का विवरण देते हुये विहित प्राधिकारी को सर्टिफिकेट भेज सकता है ।

[अ]धिनियम [सं]ख्या 19, 1952
[अ]धिनियम [सं]ख्या 34, 1942

(4) एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में सेवायोजित किसी व्यक्ति के संबंध में एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड्स ऐक्ट, 1952, या, यथास्थिति, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अधीन, या तो

सेवायोजक के अंशदान या सेवायोजक द्वारा वसूल किये गये कर्मचारी के अंशदान या सेवायोजक से वसूल किये जा सकने वाले किन्हीं अन्य देयों के संबंध में, जिसका सेवायोजक ने संबंधित अधिनियमों के अनुसार भुगतान न किया हो, विहित प्राधिकारी को एक सर्टिफिकेट भेज सकता है ।

(5) कोई व्यक्ति जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में अनन्य रूप से सेवायोजित हो, चाहे वह धारा 16 के अधीन निगम का सेवक हो गया हो या नहीं या उस सेवायोजन में न रह गया हो, या कोई ट्रेड यूनियन जिसका कि ऐसा व्यक्ति सदस्य रहा हो, उक्त दिनांक के पूर्व उपक्रम के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी सेवा के लिये किसी वेतन, मजदूरी, प्रतिधारण-भत्ता, अवकाश-वेतन, बोनस, पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या उसे देय अन्य भुगतान, या उसकी आनुपातिक धनराशि के संबंध में कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकता है ।

(6) उप-धारा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम उस उप-धारा में अभिदिष्ट किन्हीं बकाया देयों का, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्तियों से है जो नियत दिनांक के पूर्व पूर्वोक्त प्रकार से सेवायोजित थे और उस दिनांक को तथा उस दिनांक से धारा 16 के अधीन निगम के सेवक हो गये, विवरण देते हुए एक सर्टिफिकेट विहित प्राधिकारी को भेज सकता है ।

(7) उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (5) में उल्लिखित कोई दावा, चाहे उसके आधार पर कोई डिक्री या पंचफैसला प्राप्त कर लिया गया हो या नहीं, किया जा सकता है, और वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 तथा 7 की अपेक्षाओं के सामान्यतया अनुरूप होगा मानो वह कोई वाद-पत्र हो ।

ऐक्ट संख्या 5, 1908

(8) उप-धारा (3) या उप-धारा (6) में उल्लिखित कोई सर्टिफिकेट भेजा जा सकता है चाहे उस उप-धारा में अभिदिष्ट देयों के संबंध में नियत दिनांक के पूर्व कोई वसूली का सर्टिफिकेट या अन्य समादेश-पत्र जारी किया गया हो या नहीं या कोई अन्य विधिक कार्यवाही की गई हो या नहीं, और वह उसमें उल्लिखित विषयों के लिये निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(9) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन उसके सामने किये गये प्रत्येक दावे का या उसे प्राप्त हुए सर्टिफिकेट का नोटिस उन सभी व्यक्तियों को देगा जिनके विषय में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वे अनुसूचित उपक्रम में हितबद्ध हैं या हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के हकदार हैं ।

(10) विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे, और उपधारा (8) तथा धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस धारा में उल्लिखित दावों पर और प्रतिकर पर आगम के संबंध में किसी विवाद पर भी अभिनिर्णय देगा ।

(11) प्रतिकर की धनराशि को धारा 7 की उपधारा (6) में तथा पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दावों को, निम्नलिखित क्रम में, चुकाने में प्रयुक्त किया जायगा:—

(क) उप-धारा (1) में उल्लिखित दावे;
(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (क) में उल्लिखित दावे;
(ग) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ख), (ग) व (घ) में उल्लिखित दावे;
(घ) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ङ) में उल्लिखित दावे ;
(ङ) पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित अन्य दावे ।

(12) उप-धारा (11) के प्रत्येक खंड में उल्लिखित दावे आपस में समान श्रेणी में गिने जायेंगे, और यदि उस उपधारा में अभिदिष्ट शेष धनराशि उन दावों को चुकाने के लिये अपर्याप्त हो तो उनका भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जायेगा ।

(13) पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दावे या उनके संबंध में सर्टिफिकेट नियत दिनांक से चार महीने के भीतर विहित प्राधिकारी के सामने किये जायंगे या उसके पास भेजे जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि की गणना करते समय धारा 7 की उपधारा (10) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट अवधि नहीं शामिल की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वोक्त उपधाराओं में निहित किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन काटी हुई किसी धनराशि के संबंध में कोई दावा किया जाना या सर्टिफिकेट भेजा जाना आवश्यक होगा ।

(14) उपधारा (11) में अभिदिष्ट दावे राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, प्रतिकर में से उपलब्ध धनराशि में से चुकाये जायेंगे और अनुसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति का दायित्व ऐसे भुगतान की सीमा तक समाप्त हो जायेगा ।

(15) यदि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान हो जाता है, जो विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसको देय नहीं थी अथवा उसे देय धनराशि से अधिक है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी धनराशि अथवा, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त धनराशि की वापिसी के आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रभाव रखेगा ।

(16) विहित प्राधिकारी अपने पास जमा की हुई धनराशियों को अपने या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार वितरण कर सकता है, और ऐसी किसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी अंश को निकालने या विनियोजित करने के संबंध में ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह न्यायोचित और इष्टकर समझे ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में, तथा धारा 16 में नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के संबंध में अनन्य रूप से सेवायोजित व्यक्ति के अन्तर्गत कोई ऐसा मौसमी मजदूर भी है जो ऐसे दिनांक से ठीक पूर्व प्रतिधारण-भत्ता पा रहा हो, किन्तु इसमें कोई अन्य आकस्मिक मजदूर शामिल नहीं है ।

कतिपय प्रतिभूत ऋणों का परिहार

9—(1) यदि धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष किसी ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार पर आधारित किसी दावे के संबंध में कोई आपत्ति की जाय तो राज्य सरकार या निगम या धारा 8 की उपधारा (2), उप-धारा (4) या उप-धारा (5) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति या आपत्तिकर्ता का कोई अन्य लेनदार, ऐसे दावे का विरोध, अन्य आधारों के साथ-साथ, निम्न आधारों में से किसी पर भी कर सकता है, अर्थात्—

(1) यह कि ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या अन्य आभार का संव्यवहार जिस पर दावा आधारित हो,

(क) राज्य सरकार के किन्हीं देयों या धारा 8 में अभिदिष्ट किसी दावे या किसी अन्य लेनदार के दावे को विफल करने या उसमें विलम्ब करने के लिए, या

(ख) जहां ऐसा संव्यवहार नियत दिनांक के ठीक पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो, राज्य सरकार के या धारा 8 की उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट व्यक्तियों के देयों की अपेक्षा दावेदार को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके माध्यम से वह दावा करता हो प्राथमिकता देने के लिए किया गया था, या

(2) यह कि संव्यवहार सद्भावना से नहीं किया गया था और उसकी शर्तें युक्तिसंगत नहीं थीं ।

(2) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे संव्यवहार की और अनुसूचित उपक्रम की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, जब तक कि विहित प्राधिकारी के संतोषानुसार दावेदार सद्भावपूर्ण और सप्रतिफल अन्तरिती प्रमाणित न हो जाये, संव्यवहार को ऐसी शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे रद्द करने का या परिवर्तित करने का आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह संव्यवहार प्रभावी न रह जायेगा या, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा ।

विहित प्राधिकारी

10—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो पद में आयुक्त या जिला-न्यायाधीश से नीचे का न हो, और विभिन्न अनुसूचित उपक्रमों के संबंध में भिन्न-भिन्न विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है ।

अपील

11—कोई भी व्यक्ति (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) जो विहित प्राधिकारी के किसी निर्णय से क्षुब्ध हो ऐसे निर्णय के विरुद्ध न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर न्यायाधिकरण ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

न्यायाधिकरण

12—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन करने के लिए न्यायाधिकरण संघटित करेगी, और विभिन्न अनुसूचित उपक्रमों के संबंध में भिन्न-भिन्न न्यायाधिकरण संघटित किये जा सकते हैं ।

(2) न्यायाधिकरण में एक सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रह चुके हों ।

शक्तियां और प्रक्रिया

अधिनियम संख्या 5, 1908

13—(1) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद की सुनवाई के समय अथवा डिक्री के निष्पादन के सम्बन्ध में होती हैं:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) किसी लेख्य के प्रकटीकरण कराने और उसे पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों द्वारा साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी साक्षी या लेख्य की परीक्षा के लिये या अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के निरीक्षण या मूल्यांकन के लिये कमीशन जारी करना ;

(ङ) अपने किसी आदेश का निष्पादन करना;

(च) ऐसे अन्य विषय, यदि कोई हों, जो विहित किये जायं ।

(2) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने, और अभिलेख में प्रत्यक्ष ही दिखने वाली किसी भूल के होने की दशा में अपने किसी निर्णय का पुनर्विलोकन करने, या उसमें किसी गणित या लेखन संबंधी गलती को शुद्ध करने, की शक्ति होगी ।

(3) यदि किसी कारण से विहित प्राधिकारी के या न्यायाधिकरण के सदस्य के पद में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति को छोड़ कर) हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और विहित प्राधिकारी या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जहां रिक्ति भरी गई हो जारी रखी जा सकती है।

(4) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा, और विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा। अधिनियम संख्या 5, 1898

अधिकारिता पर रोक

14—इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी का प्रत्येक निर्णय, न्यायाधिकरण को की गई अपील, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये, और न्यायाधिकरण का प्रत्येक निर्णय, अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी। अधिनियम संख्या 45, 1860

ऐसे दावों जिनकी तुष्टि न हुई हो और अन्य देयों के संबंध में दायित्व

15—इस अधिनियम में दी हुई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसके द्वारा—

(1) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट किसी अग्रिम के सम्बन्ध में किसी देय पर या धारा 8 में अभिदिष्ट किसी दावे पर, उस सीमा तक जहां तक कि प्रतिकर की धनराशि में से उसका भुगतान होने से रह जायगा, कोई प्रभाव पड़ता है; या

(2) उनके सम्बन्ध में किसी दायित्व या आभार का अन्तरण राज्य सरकार को या निगम को हो जाता है; या

(3) उस देय या दावे के सम्बन्ध में, अनुसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन (जिसमें मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जाने योग्य देयों की वसूली से सम्बन्धित कोई विधि भी सम्मिलित है) कोई उपचार या कोई अन्वेषण या विधिक कार्यवाही (चाहे वह नियत दिनांक के ठीक पूर्व लम्बित हो या नहीं) बाधित होती है।

सेवायोजितों का अन्तरण

16—(1) इस धारा में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति (जो किसी ऐसी कम्पनी, जिसमें नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम का स्वामित्व, प्रबन्ध, या नियंत्रण निहित हो, के या उसकी नियंत्रित कम्पनी के, डायरेक्टर से, अथवा ऐसे डायरेक्टर के, या उपक्रम के स्वामी या भागीदार या पट्टेदार के कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित किसी "सम्बन्धी" से, भिन्न हो) जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सवायोजित था, उस दिनांक को तथा उस दिनांक से, निगम का सेवक हो जायेगा, और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी पदावधि के लिये, उन्हीं उपलब्धियों के साथ और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध म उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जिसके लिये या जिन पर या जिनके साथ वह उसे नियत दिनांक को धारण करता यदि उपक्रम निगम को अन्तरित न होता और उसमें निहित न होता, और वह उसे इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा शासित होती हो, निगम में उसकी सेवा समाप्त न कर दी जाय या निगम द्वारा उसकी उपलब्धियों या सेवा की अन्य शर्तों और प्रतिबन्धों को पुनरीक्षित न किया जाय या उसमें परिवर्तन न कर दिया जाय : अधिनियम संख्या 1, 1956

प्रतिबन्ध यह है कि 31 मार्च, 1970 के पश्चात् और नियत दिनांक के पूर्व की गई कोई नियुक्ति या किसी व्यक्ति को दी गई कोई पदोन्नति, वेतन-वृद्धि या पेन्शन या दिया गया भत्ता या कोई अन्य लाभ जो निगम की राय में 31 मार्च, 1970 के पूर्व प्रवृत्त सेवा की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन साधारणतया नहीं की या दी जाती या दिया जाता या साधारणतया अनुमन्य न होती या होता, न तो प्रभावी या देय होगा या होगी और न उसके सम्बन्ध में निगम से या किसी भविष्य निधि, पेन्शन या अन्य निधि से या किसी प्राधिकारी से जो उक्त निधि का प्रशासन करता हो उसे लेने के लिये कोई दावा ही किया जा सकेगा जब तक कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की पुष्टि न कर दे या, यथास्थिति, उस पेन्शन, भत्ते या अन्य लाभ के लगातार दिये जाने के लिये निदेश न दे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त विपरीत अनुबन्ध के अधीन रहते हुये, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० में यथा परिभाषित "मजदूर" से भिन्न, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति जो निगम का सेवक हो जाय ऐसे अनुसूचित उपक्रम से जिसमें वह नियत दिनांक के ठीक पूर्व सवायोजित था निगम के किसी उपक्रम या अधिष्ठान को उन्हीं उपलब्धियों पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण से ठीक पूर्व शासित होता हो। सं० प्रा० अधिनियम संख्या 28, 1947

(3) यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

(4) किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन नाम-निर्दिष्ट न्यासधारियों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व उप-धारा (1) में अभिदिष्ट सेवकों के लिये संघटित किसी पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान या तत्सदृश अन्य निधि के न्यासधारी थे, ऐसे व्यक्ति न्यासधारियों के रूप में प्रतिस्थापित किये जायंगे जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(5) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सेवक की सेवायें निगम को अन्तरित हो जाने के फलस्वरूप उसका सेवायोजन समाप्त हो जाने से कोई ऐसा सेवक उस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर पाने का हकदार न होगा, और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा। सं० प्रा० अधिनियम संख्या 28, 1947

(6) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन निगम में निहित अनुसूचित उपक्रमों के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले उपलब्धियों के मापक्रमों और सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों में एकरूपता लाने के प्रयोजनों के लिये ऐसा करना आवश्यक है, या कि निगम के हित में या राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिये ऐसे सेवकों या उनके किसी वर्ग को देय उपलब्धियों में कमी किया जाना या उन पर लागू होने वाली सेवा की अन्य शर्तों और प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार इस धारा में या संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी पंच-फैसले, समझौते या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी नियत दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे (चाहे उपलब्धियों में कमी करके या अन्यथा) बदल सकती है, और यदि किसी सेवक को यह परिवर्तन स्वीकार न हो तो निगम उसे तीन महीने की उपलब्धियों के बराबर प्रतिकर देकर, सिवाय उस दशा में जब कि उस सेवक की सेवा के संविदा में उससे कम अवधि के नोटिस की व्यवस्था हो, उसका सेवायोजन समाप्त कर सकती है। सं०प्रा० अधिनियम संख्या 28, 1947

स्पष्टीकरण—

1—इस उपधारा के अधीन किसी सेवक को देय प्रतिकर किसी पेन्शन, उपदान, भविष्य निधि या किन्हीं अन्य लाभों, जिन्हें वह सेवक सेवा के संविदा के अधीन पाने का हकदार हो, के अतिरिक्त होगा और उनमें से किसी पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2—पद "सेवा के संविदा" का तात्पर्य उस संविदा से है जो सेवक और निगम के बीच सेवा-समाप्ति के ठीक पूर्व अस्तित्व में हो।

(7) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबन्धों की न्याययुक्तता या उनके औचित्य को या संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में उल्लिखित मजदूरी तथा अन्य भत्तों, मजदूरी सहित अवकाश, छुट्टियों, बोनस, लाभांश, भविष्य निधि, उपदान, प्रचलित रियायतों और विशेषाधिकारों, अभिनवीकरण, छटनी या किसी अन्य विषय की न्याययुक्तता और उसके औचित्य को अभिनिर्णीत करने के प्रयोजनों के लिये, और बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन बोनस या इम्प्लाईज प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, 1952 के अधीन या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन किन्हीं अंशदानों की संगणना करने के लिये निगम के केवल उस उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में कोई मजदूर या अन्य सेवक तत्समय सेवायोजित हो, से सम्बन्धित लेखाओं, लाभ, हानि और अन्य परिस्थितियों पर ही विचार किया जायेगा न कि किसी ऐसे अन्य उपक्रम के लेखाओं, लाभ, हानि और अन्य परिस्थितियों पर जो इस अधिनियम की सामर्थ्य से निगम में निहित हुआ हो या उसके द्वारा अन्यथा अर्जित किया गया हो। अधिनियम संख्या 20, 1946 सं०प्रा० अधिनियम संख्या 28, 1947 अधिनियम संख्या 21, 1965 अधिनियम संख्या 19, 1952 अधिनियम संख्या 34, 1948

(8) यदि नियत दिनांक के पश्चात् किसी भी समय निगम किसी नियंत्रित कम्पनी का प्रवर्तन करे और किसी एक या अधिक अनुसूचित उपक्रमों को जो इस अधिनियम के सामर्थ्य से निगम में निहित हुये हों ऐसी कम्पनी को अन्तरित कर दे तो निगम के ऐसे सेवकों की सेवायें जिनके सम्बन्ध में निगम यह घोषित करे कि वे उस उपक्रम या उन उपक्रमों के सम्बन्ध में सेवायोजित थे (उनमें से ऐसे सेवकों के सिवाय जो ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय अन्यथा विकल्प दे) उस नियंत्रित कम्पनी को अन्तरित हो जायेंगी और प्रत्येक ऐसा सेवक, उन्हीं उपलब्धियों पर, उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और पेन्शन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को रखते हुये जो उसे अनुमन्य होते यदि वह उपक्रम ऐसी नियंत्रित कम्पनी को अन्तरित न किया गया होता, ऐसी कम्पनी का सेवक हो जायेगा और तब तक ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि कम्पनी द्वारा किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा शासित होती हो उसकी उपलब्धियों या सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण न किया जाय या उनमें परिवर्तन न किया जाय, और उपधारा (5) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित सेवाओं के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

ओं तथा लेखों सुलभता

17—यदि नियत दिनांक से एक वर्ष की अवधि में किसी भी समय किसी अनुसूचित उपक्रम के अध्यासी को या किसी हितबद्ध व्यक्ति को धारा 7 तथा 8 में अभिदिष्ट किन्हीं दावों का विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवाद करने के प्रयोजनों के लिये या किसी लोक सेवक या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवरणी प्रस्तुत करने या ऐसे ही किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य

लेख्य में, जो इस अधिनियम की सामर्थ्य से निगम में निहित हो गया हो, दिये गये किसी वृत्तान्त की आवश्यकता पड़े तो वह ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य का निरीक्षण करने के लिये निगम को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त निगम उस इस प्रयोजन के लिये सभी सुविधायें देगा, और विशेषतया, उसे ऐसे किसी लेखे, रजिस्टर या लेख्य के निरीक्षण करने अथवा उसके उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां लेने की अनुमति देगा ।

शास्तियां

18--(1) कोई व्यक्ति जो--

(क) धारा 3 के अधीन निगम में निहित किसी अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट या उससे सम्बन्धित किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए भी धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर को न दे; या

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य पर अनाधिकार रूप से कब्जा प्राप्त कर ले; या

(ग) धारा 5 के उपबन्धों के पालन से बचने के अभिप्राय से किसी लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य को छुपाये, नष्ट करे या विकृत या विरूपित करे; या

(घ) धारा 6 द्वारा अपेक्षित किन्हीं विवरणों को देने में जानबूझ कर चूक करे; या

(ङ) धारा 6 की अपेक्षा के अनुपालन में, ऐसे विवरण दे जो असत्य हों और जिनके असत्य होने का उसे या तो ज्ञान हो या विश्वास हो या जिनके सत्य होने का उसे विश्वास न हो;

ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ दण्ड से, या दोनों ही से दंडनीय होगा ।

(2) कोई न्यायालय जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध पर विचार कर रहा हो, अभियुक्त को दोषसिद्ध करते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह न्यायालय द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य को जो सदोषरूप से प्राप्त किया गया हो या जानबूझ कर न दिया गया हो, दे दे ।

(3) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के संज्ञान नहीं करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

19--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का वह उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के वे उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, तथा

(ख) "डायरेक्टर" का किसी फर्म के सम्बन्ध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये परित्राण

20--राज्य सरकार, निगम, विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण, अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी अधिकारी या सेवक, अथवा राज्य सरकार, निगम, विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

21--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों उसके एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम चौदह दिन की कुल अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1971 का निरसन और अपवाद

22—(1) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम दिनांक 3 जुलाई, 1971 को प्रवृत्त हो गया था।

अनुसूची

[धारा 2(ज) तथा 7(5) देखिये]

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
क्रम-संख्या	फैक्ट्री जिस नाम से फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहां पंजीकृत है व उसका पता (नोट:—जहां फैक्ट्री उस कम्पनी या फर्म के नाम में पंजीकृत है जिसका फैक्ट्री पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्ट्री को पट्टे पर धारण किए है, तो यथा पंजीकृत नाम ही इस स्तम्भ में लिखा है, किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि धारा 3 के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है)	प्रतिकर की धन-राशि (रुपयों में)
1	रामचन्द्र ऐन्ड सन्स शुगर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बाराबंकी ..	पच्चीस लाख रुपये (रु० 25,00,000)।
2	बुढ़वल शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बुढ़वल, जिला बाराबंकी ..	चौबीस लाख रुपये (रु० 24,00,000)।
3	रा० ब० लछमनदास शुगर ऐंड जनरल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जरवल रोड, जिला बहराइच।	दस लाख रुपये (रु०10,00,000)।
4	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया	ग्यारह लाख रुपये (रु० 11,00,000)।
5	विष्णु प्रताप शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसे विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड भी कहा जाता है, खड्डा, जिला देवरिया	आठ लाख रुपये (रु० 8,00,000)।
6	दीवान शुगर मिल्स, जिसे दीवान शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड भी कहा जाता है सखोती टाण्डा, जिला मेरठ (नोट—इस फैक्ट्री के पट्टेदार दीवान शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स हैं)।	बारह लाख रुपये (रु० 12,00,000)।
7	राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ ..	तेरह लाख पचास हजार रुपये (रु० 13,50,000)।
8	रजा बुलन्द शुगर कम्पनी लिमिटेड, रामपुर	एक करोड़ अठारह लाख रुपये (रु० 1,18,00,000)।
9	कुन्दन शुगर मिल्स जिला मुरादाबाद (नोट—इस फैक्ट्री के पट्टेदार .. कुंदन शुगर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड हैं)।	बयालीस लाख रुपये (रु० 42,00,000)।
10	शिव प्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स, बिजनौर	इक्कीस लाख रुपये (रु० 21,00,000)।
11	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ..	बीस लाख रुपये (रु० 20,00,000)।
12	कमलापत मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स लिमिटेड, भटनी शाखा, जिसे कमलापत मोतीलाल भटनी (शुगर मिल्स) भटनी शाखा भी कहा जाता है, जिला देवरिया।	बाईस लाख रुपये (रु० 22,00,000)।

पी० एम० यू० पी०—ए० पी० 229 जनरल (लेग०)—1972—1,830 (मे०)।

No. 1508(2)/XVII-V-1-1 (KA)-4-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 21, 1985.

THE UTTAR PRADESH SUGAR UNDERTAKINGS (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. ACT NO. 20 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1985. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 29, 1984.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 23 of 1971.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) 'appointed day' in relation to the undertakings specified in Schedule I means July 3, 1971 and in relation to the undertakings specified in Schedule II means October 28, 1984;"

(*b*) in clause (*h*), *for* the words 'in the Schedule', the words 'in Schedule I or Schedule II' shall be *substituted*.

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (5), *for* the words "the Schedule" the words "Schedule I, or Schedule II, as the case may be" shall be *substituted*; ;

(*b*) in sub-section (10), in the provisio, *for* the words "three months" the words "six months" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 16.

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso *after* the words "thirty-first day of March, 1970" wherever they occur, the following words shall be *inserted*, namely :—

"or, thirty-first day of March, 1983, according as the undertaking is specified in Schedule I or Schedule II".

Amendment of the Schedule.

5. In the existing Schedule to the principal Act, in the heading, *for* the words "The Schedule" the words "Schedule I" shall be *substituted*.

Insertion of new Schedule II.

6. *After* the existing Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

"SCHEDULE II

[*See* sections 2(*h*) and 7(5)]

Column 1	Column 2	Column 3
Serial no.	Name in which the factory is registered with the Chief Inspector of Factories, Uttar Pradesh and its address. (NOTE—Where the factory is registered in the name of the company or firm owing or holding the factory on lease the name as registered is specified in this column, but such specification shall not be construed to mean that it is that company or firm that is being acquired by virtue of section 3.)	Amount of compensation (in rupees).
1	2	3
1.	Shri Janki Sugar Mills Company Limited, Doiwala, Dehra Dun	Seventeen lakh eighty thousand six hundred and two (17,80,602)
2.	Lord Krishna Sugar Mills, Saharanpur ..	Seventy-one lakh thirty-eight thousand and eighty-six (71,38,086)
3.	Amritsar Sugar Mills, Rohankalan, Muzaffarnagar	Seventy lakh one thousand seven hundred sixty-seven (70,01,767)
4.	Jaswant Sugar Mills Limited, Bagpat Road, Meerut	Twenty-nine lakh nine thousand three hundred and forty-one (29,09,341)
5.	Panniji Sugar and General Mills, Panni Nagar, Bulandshahr	Fifty-three lakh and fifteen thousand (53,15,000)

1	2	3
6.	H. R. Sugar Factory, Nekpur, Bareill	Nine lakh seventy-seven thousand seven hundred and eighty-five (9,77,785)
7.	Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi	Fifteen lakh forty thousand and two hundred seventy-six (15,40,276)
8.	Lakshmi Devi Sugar Mills Limited, Chhitauni, Deoria	Sixteen lakh sixty-five thousand three hundred seventy-nine (16,65,379)
9.	Madho Mahesh Sugar Mills Private Limited, Munderwa, Basti	Sixteen lakh eighty-four thousand six hundred and fifty seven (16,84,657)
10.	Punjab Sugar Works Limited, Ghughli, Gorakhpur	Eleven lakh twelve thousand and fifty-three (11,12,053)
11.	Mahavir Sugar Mills Private Limited, Siswa Bazar, Gorakhpur	Five lakh twenty-four thousand five hundred and thirty-nine (5,24,539)
12.	Lakshmiji Sugar Mills, Maholi, Sitapur	One crore nine lakh ninety-four thousand six hundred and twenty-seven (1,09,94,627)

U.P. Ordinance no. 8 of 1985.

Repeal and saving.

7. (1) The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 127 सा० (विधा०)—(1681)—1985—850 (मेक०)।

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Aritcle 348 of the Constituion of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan)(Sanshodhan) Adhiniyam. 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by President on October 30, 1989.

THE UTTAR PRADESH SUGAR UNDERTAKINGS (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT. 1989

(U. P. Act No. 30 of 1989)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1989

(2) It shall be deemed to have come into force on April 21, 1989.

Amendment of section 2 of U. P Act no. 23 of 1971

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted* namely :

"(a) 'Appointed day'in relation to the undertakings specified in Schedule I means July 3, 1971 and in relation to the undertakings specified in Schedule-II means October 28, 1984 and in relation to the undertakings specified in Schedule III means April 24 1989;"4;

(*b*) in clause (h): for the words "in Schedule-I or Schedule-II" the words "in any of the Schedules to this Act" shall be *substituted*.

Amendment of seotion 7.

3. In section 7 of the principal Act in sub-section (5) for the words "Schedule-I or Schedule-II, as the case may "be the words" any of the Schedules to this Act" shall be *substituted*.

Amendment of section 16.

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1) in the proviso-

(a) *for* the words "granted to any person after the thirty-first day of March, 1970 or thirty-first day of March, 1983 according as the undertaking is specified in Schedule-I or Schedule-II" the words "granted to any person afterthe 31st dayofMarch, 1970 in relation to an undertaking specified in Schedule-I 31st day of March, 1983 in relation to an undertaking specifiedin Schedule-III and such date as may be notified by the State Government in this behalf in relation to an undertaking spedified in Schedule-III (such dates hereinafter referred to as the specified date)" shall be *substituted*: and

(b) *for* the words "prior to the thirty-first day of March 1970 or thirty-first day of March, 1983, according as the undertaking is specified in Schedule-I or Schedule-II" the words "prior to the specified date" shall be *substituted*.

Insertion of new Schedule III

5. *After* the existing Schedule-II to the principal Act, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

"SCHEDULE III

[*See* SECTION 2 (*h*) AND 7(5)]

Column 1	Column 2	Column 3
Serial No.	Name in which the factory is registered with the Chief Inspector of Factories, Uttar Pradesh and its address (NOTE—Where the factory is registered in the the name of company or firm owning or holding the factory on lease the name as registered is specified in this column, but such specification shall not be construed to mean that it is that company or firm that is being acquired by virtue of section 3)	Amount of compensation (in rupees)
1	Shri Sita Ram Sugar Mills Ltd., Baitalpur, Deoria	(Rupees sixty-eight lakh forty-eight thousand one hundred fifty-nine) (68,48,159)
2	Deoria Sugar Mill, Deoria	(Rupees sixty-two lakh eighty-three thousand fifty-one) (62,83,051)
3	Ratna Sugar Mills Co., Ltd., Shahganj, Jaunpur	(Eighty-eight lakh thirty-one thousand six hundred sixty-four) (88,31,664,00)
4	Nawabganj Sugar Mills Co. Ltd., Gonda	(Rupees twenty-seven lakh seventy thousand) (27,70,000)

U.P. Ordinance no.4 of 1989

6. (1) The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Narayan Das
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 167 सा० विधा०—(2926)—1989—850 (मेक०)।